न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 98 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. जोगाराम पुत्र लाखाराम 2. खेताराम पुत्र लाखाराम 3. दलूदेवी पत्नी लाखाराम जाति जाट निवासी गोलिया जेतमाल तहसील गुड़ामालानी 4. तेजाराम पुत्र पूनमाराम जाति जाट निवासी धोलानाड़ा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।	बनाम	1.भंवरसिंह पुत्र वागसिंह जाति राजपूत निवासी देवड़ों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर। 2.श्रीमान तहसीलदार गुड़ामालानी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व आवेदन संख्या 03/2017 में निर्णय दिनांक 25.09.2017 ।

उपस्थित

1. वकील श्री रीड़मलराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मोहनलाल विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 04.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 (प्रार्थी) ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी (संशोधित) अधिनियम के तहत एक आवेदन इस आशय का पेश किया। उतरदाता संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या **22 रकबा 21.06** बीघा ग्राम देवड़ों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित है। जिससे लगता हुआ अपीलांटगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या **461/38** उतरदाता के खेत एवं सड़क के मध्य पड़ता है। उक्त खेत में से चलने वाली कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के मौसम में अपीलांटगण अपनी अन्य भूमि के साथ—साथ रास्ते की भूमि पर भी काश्त कर लेते है। जिससे उतरदाता संख्या 01 का आवागमन अवरूद्ध हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा पेश आवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तथ्यों का छिपाते हुऐ मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जबकि वास्तव में मूल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 108.02 बीघा की पश्चिम सेढे से लगती हुई सड़क निकलती है तथा मूल खसरा संख्या 22 का विभाजन जरिये मानान्तरकरण संख्या 210 दिनांक 22.11.2016 को अर्थात आवेदन प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व ही किया गया है, ऐसी स्थिति में मूल खसरा संख्या 22 रकबा 108.02 बीघा के विभाजन के समय पश्चिम दिशा में सेढा–सेढ चल रही सड़क से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में आने जाने हेतु मार्ग की सुविधा प्राप्त करने हुए बंटवाड़ा करवाना विधि सम्मत था परन्तु प्रार्थी ने स्वयं की भूमि को रास्ते में विलिन होने से बचाने के नियत से विभाजन के समय रास्ता नहीं रखा। रेस्पोडेंट ने मूल खसरा संख्या 22 के सहखातेदारों अर्थात अपने भाईयों से रास्ता प्राप्त नहीं कर अपीलांटगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से ही दूसरे ग्राम धोलानाड़ में स्थित अपीलांटगण के खेतों में रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सूचना दिये बिना ही एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिस बाबत अपीलांट को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा पेश आवेदन तथ्यों को छिपाते हुऐ मनगढत व बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जबकि वास्तव में मूल खसरा संख्या 22 कुल रकबा 108.02 बीघा की पश्चिम सेढे से लगती हुई सड़क निकलती है तथा मूल खसरा संख्या 22 का विभाजन जरिये मानान्तरकरण संख्या 210 दिनांक 22.11.2016 को अर्थात आवेदन प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व ही किया गया है, ऐसी स्थिति में मूल खसरा संख्या 22 रकबा 108.02 बीघा के विभाजन के समय पश्चिम दिशा में सेढा–सेढ चल रही सड़क से प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि में आने जाने हेतु मार्ग की सुविधा प्राप्त करने हुए बंटवाड़ा करवाना विधि सम्मत था परन्तु प्रार्थी ने स्वयं की भूमि को रास्ते में विलिन होने से बचाने की नियत से विभाजन के समय रास्ता नहीं रखा। रेस्पोडेंट ने मूल खसरा संख्या 22 के सहखातेदारों अर्थात अपने भाईयों से रास्ता प्राप्त नहीं कर अपीलांटगण को नुकसान पहुंचाने की नियत से ही दूसरे ग्राम धोलानाड़ में स्थित अपीलांटगण के खेतों में रास्ता प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया। प्रार्थी/रेस्पोडेंट को अपने <u>खेत खसरा</u>

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner

संख्या 22 में आने–जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के खेत खसरा संख्या 461/38 में से रास्ता काट कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 22 में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.01.2017 को प्रार्थी भंवरसिंह (उतरदाता संख्या 1) निवासी देवड़ों की बस्ती ने अपने ग्राम **देवड़ों की बस्ती** के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 21.06 बीघा में आवागमन हेतु **"कोई राजकीय कटाण मार्ग नहीं है।"** का कथन करते हुए अपीलांटगण(विप्रार्थीगण) के **ग्राम धोलानाड़ा** के खेत खसरा संख्या 461/38 रकबा 28.16 बीघा में से रास्ता की मांग की गई, जिस पर अपीलाधीन आदेश/निर्णय से रास्ता स्वीकृत किया गया।

वकील अपीलांट की आपति के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड देखा और उसका परीक्षण किया गया तो स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम **देवड़ों की बस्ती** के खाता संख्या 14 के मुताबिक खेत खसरा संख्या 22 रकबा 108.02 बीघा में सहखातेदारों के मध्य विभाजन हो जाने से जरिये नामान्तकरण संख्या 210 दिनांक 22.11.2016 से अमल दरामद होकर रेस्पोडेंट (प्रार्थी) भंवरसिंह वल्द वागसिंह के हिस्से खसरा संख्या 22 रकबा 22.06 बीघा खातेदारी में आया जिसके लिए उसने रास्ते की मांग की। इस मूल खसरा संख्या 22 में कुल 6 सहखातेदारों का विभाजन हुआ जिसकी पुष्टि अपीलांट द्वारा दिनांक 04.04.2019 को प्रस्तुत दस्तावेज सूची की **खसरा नक्शा नकल** से होती है। इस रास्ते की मांग करने से **ठीक दो माह से भी कम अवधि पहले** रेस्पोडेंट ने अपने सहखातेदारों के मध्य विभाजन करवाकर अमल दरामद कराया। यदि रेस्पोडेंट अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता एवं विकल्प का भान प्राथमिकता से लेता तो वह इसका प्रावधान बंटवारे के वक्त ही करवा लेता जिसका लाभ सभी सहखातेदार भी ले लेते लेकिन उन सब सहखातेदारों ने साशय ऐसा नहीं किया जबकि प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्यायिक दृष्टांत RRT 2007 Page 222 में माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया कि "रास्ते की अनुपस्थिति में विभाजन का उद्देश्य पूरा नही होता।" इतना ही नही इसके व्यापक उद्देश्य एवं काश्तकारों के हित में राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 06.11.2004 मे **निर्देश जारी किये कि काश्तकारों की कृषि जोत के विभाजन से पूर्व रास्तों का प्रावधान रखा जाएगा।** प्रस्तुत अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल खसरा संख्या 22 रकबा 108.02 बीघा में से ही राजस्व रिकॉर्ड में **कटाण रास्ता खसरा संख्या 18 रकबा 1.17 बीघा गुजरता है** और वह सभी सहखातेदारों के लिए उपलब्ध था। इस राजस्व रिकॉर्ड के आलोक में रेस्पोडेंट के रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं अन्य कोई विकल्प नही होने का कथन असत्य होने से मान्य नहीं है। रेस्पोडेंट के लिए उसके स्वयं के खेत में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटाण रास्ता उपलब्ध था जिसे विभाजन के वक्त बिना कोई रास्ते का प्रावधान किये स्वयं ने ही साशय उपयोग में नहीं लेना चाहा। रेस्पोडेंट की स्वयं के ग्राम देवड़ों की बस्ती मूल खेत में उपलब्ध रास्ते को छोड़कर **अन्य ग्राम धोलानाड़ा** के अपीलांट काश्तकारों के खेत में से रास्ता की मांग गैर वाजिब है, और यह मांग धारा 251(क) की मूल मंशा के विपरीत है। यदि रेस्पोडेंट अब भी रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता का अनुभव करता है तो अपने मूल खेत के हाल ही में कराये गए विभाजन से विभक्त सहखातेदारों के खेतों में से होकर गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 18 तक ले सकता है ताकि उसके उसी मूल खेत के अन्य सभी सहखातेदार भी लाभान्वित हो सके। इसके लिए वह उपलब्ध सर्वोतम विकल्प रूप में रास्ते की मांग हेतु नये सिरे से आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2017 तथा उसके अनुक्रम में सम्पन्न समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियों को अपास्त किया जाता है।

04/04/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 04.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/04/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner